

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 21/2017-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में और बोर्ड द्वारा फ़ाइल स. 437/36/2004-Cus. IV से जारी की गई अधिसूचना सं. 106/2004-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 23 सितंबर 2004, सा.वै.नि. 637(अ) दिनांक 23.09.2004 द्वारा प्रकाशित, के अधिक्रमण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अपर महानिदेशक (न्यायनिर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई, को मै. हिंदुस्तान फ़ाइबर्स लिमिटेड एवं अन्य, को फा. स. 50डी/22/99-सीआई दिनांक 30.05.2000 से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के मामले में समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-19/2017-CI]

(एस. जयप्रहासम)

संयुक्त निदेशक